नई दिल्ली

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

मांग सूचना

पंजी. कार्यालय : छठा तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

शाखा कार्यालय – (सिंगला प्लाई स्टोर्स, प्रथम तल, रेड रोड, श्रद्धा नंद चौक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा – 136118.) , (प्रथम तल, एससीओ 15, अंबाला रोड, ज़ीरकपुर – 140603), (प्लॉट नंबर– 57 से 60, द्वितीय तल, कमला नगर (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार– हरियाणा, पिन– 125001) , (शॉप नंबर एस9, प्रथम तल, लाजपत नगर, जीटी रोड, पीएनबी बैंक के बगल में, पानीपत– 132103) , (प्रथम तल, एससीओ 15, अंबाला रोड, ज़ीरकपुर – 140603)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तें (ईएमआई'ज) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अचल सम्पत्तियां बतौर प्रतिभूति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफसीएल को अद्यतन देय बकाया राशियों का विवरण भी यहां नीचे निदर्शित किया गया है। कर्जदार(रों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार, आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नामों के समक्ष निदर्शित बकाया राशि सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभूत सम्पत्ति का कब्जा लेना और उसको बिक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर/कानूनी वारिस /कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि/मांग सूचना	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति(यों) (अचल सम्पत्तियों) का वर्णन
1.	श्री/श्रीमती. मीना देवी पत्नी श्रीजसवंत, श्री/श्रीमती जसवंत पुत्र श्री रत्ना राम, सदासत कॉर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारी मीना देवी,जसवंत वार्ड नंबर 4 गढ़ी सिंघान निकटपुराअलियास गढ़ी सिंघान 156 भोर सैदाकुरुक्षेत्र हरियाणा 136119 LAKTCLLONS000005099658/AP-10237165	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.7,16,140/–(रुपये सात लाख सोलह हजार एक सौ चालीस मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति प्लॉट/मकान परिमाप 143. 339 वर्ग मीटर है और यूआईडी नंबर 584390039 है, जो गांव गढ़ी सिंघा, तहसील पेहवा और जिला कुरुक्षेत्र के लाल डोरा हरियाणा के अंदर है। सीमा:– उत्तर : प्रॉपर्टी नंबर 38 दक्षिण: गली पूर्व: प्रॉपर्टी नंबर 41 पश्चिम: प्रॉपर्टी नंबर 124
2.	श्री/श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी पम्मी कुमार, श्री/श्रीमती सत्य पाल सिंह पुत्र बाबू राम, श्री/श्रीमती पम्मी कुमार पुत्र सतपाल सिंह, मयंक लज़ीज़ रसोई पत्नी पम्मी कुमार पुत्र सतपाल सिंह मकान नंबर 291 वीपीओ बिल्ला नियर शिव मंदिर पंचकूला 134118 LA11VLLONS000005089104/AP&10210834	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.7,59,367/–(रुपये सात लाख उनसठ हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 291, एरिया 75 वर्ग गज, लाल डोरा के अंदर मौजा बिल्ला तहसील और जिला पंचकूला, हरियाणा 134103 सीमा :– पूर्व : अवतार सिंह का मकान, पश्चिम ;–सुरेश पाल, दक्षिण;– गली सारे आम
3.	श्री/श्रीमती रानी पत्नी श्रीमान महिपाल, श्रीमान/श्रीमती माही पाल पुत्र श्रीमान रल्दू, महिपाल डेयरी फर्म गांव निंगान खपरान (112) भोंगरा जींद हरियाणा–126115 HLHSCHLONS000005055709/AP-10123900	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.9,87,615/–(रुपये नौ लाख सतासी हजार छह सौ पंद्रह मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : खेवट नंबर और खाता नंबर 291 मिन/348, खसरा नंबर 279(0–8), एरिया 8 मरला वाका रकबा खापर जींद हरियाणा–126115 सीमा :–पूरब;– सतबीर की प्रॉपर्टी, पश्चिम;–गली, उत्तर;–सुनील–अनिल, दक्षिण; रामकला
4.	श्री/श्रीमती पिंकी पत्नी अमित, श्री/श्रीमती अमित पुत्र समुंदर सिंह, श्री/श्रीमती नन्ही पत्नी समुंदर सिंह, निदानी 64 जींद हरियाणा 126102 HL11SVLONS000005135196/AP-10315620	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.12,90,269/–(रुपये बारह लाख नब्बे हजार दो सौ उनहत्तर मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति/प्लॉट भूमि 305 वर्ग गज यानी 10 मरल 1 सरसई जो 2/18 है 04 कनाल 11 मरला में से हिस्सा खेवट नंबर 359, खतौनी नंबर 382 खसरा नंबर 336, 592 किते–2 गैर मुमकिन गांव निडानी तहसील और जिला जींद हरियाणा–126102 सीमा:– पूर्व:– पूर्व कौर सिंह पुत्र मोजीराम का मकान, पश्चिम:– चंद्र पुत्र नयाल सिंह, उत्तर : दलबीर पुत्र देसा, दक्षिण : गली सरे आम
5.	श्री/श्रीमती रेखा पत्नी श्री मुनीश कुमार, श्री/श्रीमती मुनीश कुमार पुत्र चंदर भान, मुनीश कुमार कॉन्ट्रैक्टर, जगन 141 असरावन हिसार हरियाणा–125052 स्टैट्स: LONS000005125140/AP-10278387	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.9,47,336/–(रुपये नौ लाख सैंतालीस हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : खेवत नंबर 238 मिन //212 खतौनी नंबर 410 और 416 खसरा नंबर 196(1–0)203(1–0)228(0 19) 349(0–2) 364(0–2) 372(0–2) 385(0–2) 191(1–0) किता 8 बारकबा 4 कनाल 7 मरला का 20/261 भाग रकबा 6.66 मरला वाका मोजा जगन तहसील और जिला हिसार, हरियाणा सीमा:– उत्तर : गली, दक्षिण : जगदीश ढाका का मकान, पूरब : रमेशर का मकान, पश्चिम : च मिस्टर/मिसेज सुमन पत्नी मिस्टर कृष्ण, मिस्टर/मिसेज कृष्ण पुत्र मिस्टर इंदर सिंह, मिस्टर/मिसेज रिंकू पुत्र इंदर सिंह, होमगार्ड शेरपुरा 54 शेरपुरा सिरसा हरियाणा–125110 HLSISVLONS000005136103/AP 10295748 तुरा का मकान
6.	श्री/श्रीमती सुमन पत्नी श्री कृष्ण, श्री/श्रीमती कृष्ण पुत्र श्री इंदर सिंह, श्री/श्रीमती रिंकू पुत्र इंदर सिंह, होमगार्ड शेरपुरा 54 शेरपुरा सिरसा हरियाणा–125110 HLSISVLONS000005136103/AP -10295748	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.13,05,914/–(रुपये तेरह लाख पांच हजार नौ सौ चौदह मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 54 एरिया 05 मरला 08 सरसई या कहें 48' गुणा 33'; 40के.03एम में से 53/7227 हिस्सा है। आयत नंबर 73 किला नंबर 14(8–0) 15(8–0) 16(8–0) 17(2–13) 6(8–0) 7(5–10) में खेवट नंबर 352 मिन में शामिल है; गांव ढेरपुरा तहसील नाथसारी चोपता जिला सिरसा में है, सेल डीड नंबर 300 दिनांकित 25–04–2024 के अनुसार सब रजिस्ट्रार, नाथूसारी चोपता के ऑफिस में रजिस्टर्ड, साल 2017–18 की जमाबंदी के हिसाब से और म्यूटेशन नंबर के साथ पढ़ा गया। 3776 सीमाएं : पूरब– गली 16.5 फीट, पश्चिम–अन्य की प्रॉपर्टी, उत्तर– प्लॉट नंबर 54, दक्षिण – प्लॉट नंबर 52
7.	श्री/श्रीमती निशा पत्नी श्री/श्रीमती लखविंदर सिंह, श्री/श्रीमती लखविंदर सिंह पुत्र रवि शेर, श्री/श्रीमती रवि शेर पुत्र बनारसी दास, श्री/श्रीमती लखविंदर सिंह सी/ओ रवि इलेक्ट्रिकल ग्राम मुकंदपुर 271 पोस्ट खानपुर ब्राह्मणना नारायणगढ़ अंबाला, हरियाणा 134201 LA11CLLONS000005054118 – LA11VLLONS000005072885/AP-10125454 – AP-10175012	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू.19,26,755/–(रुपये उन्नीस लाख छब्बीस हजार सात सौ पचपन मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : खेवट नंबर 232, खतौनी नंबर 260, खसरा नंबर 17//4/3(2–13), 28//11/2/2 (2–2), 12/3/1(0 2), 19/2(1–14), 22/3(1–11) और खेवट नंबर 229, खतौनी नंबर 256, खसरा नंबर 28//19/3 (1–8), 28//20/2(5–1) वाकिया मुकुंदपुर सब–तहसील शहजादपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला– अंबाला सीमाएं : पूर्व– 50 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम– 50 फीट रोड फिरनी, दक्षिण– 152 फीट 2 इंच प्लॉट ईश्वर, उत्तर– 152 फीट 2 इंच प्लॉट बल्का
8.	श्री/श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री जोगिंदर सिंह, श्री/श्रीमती जोगिंदर सिंह पुत्र श्री माम राज, जोगिंदर डेयरी फार्म मकान नंबर 115 गली नंबर 1 अजराना कलां 274 पीओ अजरना कलां जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा 136130 LAKTSVLONS000005161919/AP-10366810	10–11–2025 / 11–11–2025	11–मई–2026 रू. 11,68,496/–(रुपये ग्यारह लाख अड़सठ हजार चार सौ छियानवे मात्र) 10–मई–2026 तक बकाया 11 मई–2026 से ब्याज के साथ और पेमेंट की तारीख तक दूसरे चार्ज और लागत	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट/मकान 363 वर्ग गज (12 मरले) का है, जो कुल 42 कनाल 01 मरले भूमि में से 12/841 हिस्सा है, जो खेवत नंबर 167, खतौनी नंबर 295, मुरब्बा नंबर 45, खसरा नंबर 21/2 (1–16), 21/3 (3–11), 22/1/2 (2–13) किता 3, खतौनी नंबर 296, मुरब्बा नंबर 57, खसरा नंबर 1 (3–17) किता 1, खतौनी नंबर 297, मुरब्बा नंबर 45, खसरा नंबर 20 (8–0) किता 1, खतौनी नंबर 298, मुरब्बा नंबर 45, खसरा नंबर के अंतर्गत आता है। 19/2 (4–19), किता 1, खतौनी नंबर 299, मुरब्बा नंबर 45, खसरा नंबर 11 (8–0), 12 (8–0), 13/1/2 (1–5) किता 3, साल 2020–21 की जमाबंदी के हिसाब से कुल किता 9, रेवेन्यू एस्टेट गाँव अजराना कलां, तहसील थानेसर और ज़िला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। सीमाएं :– पूरब:– गली, पश्चिम:– राज कुमार की ज़मीन, उत्तर:– सुरेंद्र की ज़मीन, दक्षिण:– राजेंद्र सिंह की ज़मीन

स्थान : हरियाणा, दिनांक : 19–05–2026

(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन वर्टिकल: केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

संदर्भ: एसएएमवी: आरसीडब्ल्यूडी2: आदेश: 192: 2026–27 **दिनांक: 04.05.2026**

और
(बिना पूर्वाग्रह के)
जानबूझकर चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति द्वारा पारित आदेश
मेसर्स जेरथ पाथ लैब्स प्रा. लि. और उसके निदेशकों/गारंटर को जानबूझकर चूककर्ताओं घोषित करने के मामले में
आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (जानबूझकर चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के साथ व्यवहार) निर्देश, 2024 के अनुसार—जो डीओआर.एफआईएन.आरईसी.न.31/20.16.003/2024–25 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से जारी किए गए थे—संबंधित उधारकर्ता और उसके निदेशकों/गारंटरों को बैंक के उस 'प्रस्ताव' के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें उन्हें यह सूचना दिनांक 29.10.2025 के पत्र के माध्यम से 'जानबूझकर चूककर्ता' घोषित करने की बात कही गई थी, जिसके विरुद्ध उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 27.02.2026 को उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था, जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए।

समीक्षा समिति की अध्यक्षता श्री रामसुब्रमण्यम एस (कार्यकारी निदेशक) ने की। समिति के अन्य सदस्य श्री अभिजीत बसाक (सीजीएम), श्री बीजू वासुदेवन (सीजीएम) और श्री आलोक कुमार (जीएम) थे। समीक्षा समिति ने रिकॉर्ड में लाई गई पूरी सामग्री पर विचार किया। मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, समीक्षा समिति ने देखा कि उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटर के खिलाफ निर्विवाद साक्ष्य थे और उनका कार्य "जानबूझकर चूककर्ता" पर आरबीआई दिशानिर्देशों के दायरे में आएगा। साथ ही, उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटर मामले में जारी कारण बताओ नोटिस की टिप्पणियों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे। जानबूझकर चूककर्ता का कारण निम्नानुसार है–

यूनिटों के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि उधारकर्ता द्वारा यूनिट बंद कर दी गई हैं और उन्होंने बैंक को हाइपोथेक की गई मशीनरी और उपकरणों को बिना किसी पूर्व अनुमति के निपटा दिया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा समिति ने नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों को 'जानबूझकर चूककर्ता' घोषित करने का निर्णय लिया।

क्र सं	उधारकर्ता	निदेशकों/गारंटरों
1.	मेसर्स जेरथ पार्थ लैब्स प्रा. लि.	रीटा जेरथ (निदेशक) और गारंटर) प्रशांत जेरथ (निदेशक और गारंटर)

(कुमार राहुल)
महाप्रबंधक

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं.2009-2014, मैग्नम ग्लोबल पार्क, 20वीं मंजिल, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, गुरुग्राम (हरियाणा), भारत –122011

परिशिष्ट IV [नियम-8(1) देखें] कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, निम्न विवरण के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए एक मांग जारी किया जाता है।

उक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम के धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उन्हें प्रदान किए गए शक्तियों के प्रयोग में इस दिनांक नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ लेन–देन करने पर यहाँ निर्दिष्ट राशि के साथ आगे ब्याज, लागत और शुल्क संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान तक की राशि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, गारंटर का नाम और पता, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	1. मांग सूचना: दिनांक 2. सांकेतिक कब्जा: दिनांक 3. रु. में बकाया राशि
1.	1. रमेश प्रसाद पुत्र जामदार (उधारकर्ता) 2. दीपक श्रीवास्तव पुत्र रमेश श्रीवास्तव (सह–उधारकर्ता), 3. संदीप पुत्र रमेश श्रीवास्तव (स्वर्गीय गीता देवी के कानूनी उत्तराधिकारी), 4. रोहित पुत्र रमेश श्रीवास्तव (स्वर्गीय गीता देवी के कानूनी उत्तराधिकारी) उपरोक्त सभी निवासी– मकान नंबर 670, वार्ड नंबर 10 छोटू राम नगर, लाइन पार फाटक के पास बहादुरगढ़ हरियाणा–124507 इसके अलावा– खेवट नंबर 163, खाता नंबर 261, वाका मौजा हसनपुर निजामपुर रोड बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा–124103, साथ ही–661/10 छोटू राम नगर लाइन पार बहादुर गढ़ हरियाणा–124057 ऋण संख्या LXJNP02918-190002883 एवं LXJNP02419-200007870 ऋण सन्नतीता दिनांक–31–10–2018 और 29–02–2020 ऋण राशि: रु.4,88,686/–+ रु. 4,42,357/–	1. 28–फरवरी–2026 2. 14–मई–2026 3. रु.5,35,221 + रु. 3,93,879/– कुल सनप्र राशि दिनांक 28 फरवरी 2026 तक 9,29,100/– रुपये (नौ लाख उनतीस हजार एक सौ रुपये मात्र)+ 1 मार्च 2026 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: खेवट नं.163 का भाग, खतौनी सं 261, मरब्बा किल्ला 12/15/3, 16/2, 17/2, 24/3, 13/11/3, 0–5, 6–18, 3–9, 5–10, 0–3, 20/2, 21/17/2/2, 18/2, 28 25/4/2, 107 137 0–17, 2–17, 1–13,–13, 3–10, 1–2 0–17, वाका मौजा हसनपुर वाका मीरजापुर रोड, बैंक साइड निजामपुर, बॉर्डर, बैरूल नगर पालिका, बहादुरगढ़, जिला– झज्जर, हरियाणा वाली 55 वर्ग गज क्षेत्रफल की संपत्ति का सम्पूर्ण भाग एवं अंश। दिनांक 19–10–2018 की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार सीमांकित पूर्व में दिलजीत की संपत्ति, पश्चिम में रामपाल की संपत्ति, उत्तर में 31 फीट चौड़ी गली, दक्षिण में अन्य संपत्ति।

दिनांक : 19.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी, श्री सौरव त्रिपाठी, मोबाइल- 9650055701
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

---

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 2401, जन. थिमैय्या रोड (कैन्टोनेंट), पुणे– 411 001
उपभोक्ता वित्त प्रभाग : नवीन सं. 34, जी. एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई– 60017
राज्य कार्यालय : इंडसइंड बैंक लिमिटेड, सीएफडी एएचएल शाखा, प्रथम तल, भूखंड सं. बी–10 एवं 11 पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020

अधिग्रहण सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त नियमावली) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं / गारंटरों को निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता(गण) उक्तावधि के अंदर भावी ब्याज के साथ निर्धारित उक्त बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें निम्न तालिका में ऋणकर्ताओं/गारंटरों के नामों के समक्ष अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। उक्त संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऋणकर्ताओं के नामों के समक्ष अंकित राशियों तथा इन राशियों पर नियत आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों तथा ब्याज हेतु मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / गारंटर का नाम, ऋण अनुबंध सं.	मांग सूचना तिथि / अधिग्रहण तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणकर्ता :** श्री शिवराज दरोगा पुत्र सत्यनारायण दरोगा **सह–ऋणकर्ता :** श्री सत्यनारायण दरोगा पुत्र गंगाराम **सह–ऋणकर्ता :** श्री कैलाश सिंह पुत्र सत्यनारायण दरोगा **सह–ऋणकर्ता :** श्री बबलू दरोगा केयर ऑफ सत्यनारायण दरोगा **सह–ऋणकर्ता :** श्रीमती सीता देवी पत्नी गंगा राम **गारंटर :** श्री हीरा पुत्र हरदेव जाट **समझौता संख्या : RUB05168M** **दिनांक 30.12.2019 और RUB05638M** **दिनांक 21.06.2023**	27.02.2025 / अधिग्रहण तिथि 15/05/2026	रु. 5,73,359.27/– (रुपये पांच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उनसठ और सत्ताईस पैसे मात्र) डील नंबर RUB05638M में 25.02.2025 तक और रु. 5,36,066.51/– (रुपये पांच लाख छत्तीस हजार छियासठ और इक्यावन पैसे मात्र) डील नंबर RUB05168M में 07.02.2025 तक।

बंधक संपत्ति का विवरण : आवसीय भूमि (पट्टा सं. 31) के समस्त वे भाग तथा अंश, मापन 120.55 वर्ग गज, जो ग्राम कचरिया, ग्राम पंचायत नंदसी तहसील भिनाय जिला अजमेर में स्थित हैं। उक्त संपत्ति की चार सीमाएं इस प्रकार हैं :– पूर्व : शंकर / खना, पश्चिम : कालू / शंभू, उत्तर : सांवर लाल / मोहन, दक्षिण : सामान्य सड़क।

दिनांक : 15–05–2026 हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : भीलवाड़ा कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन वर्टिकल: केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

संदर्भ: एसएएमवी: आरसीडब्ल्यूडी2: आदेश: 191: 2026–27 **दिनांक: 04.05.2026**

और
(बिना पूर्वाग्रह के)
जानबूझकर चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति द्वारा पारित आदेश
मेसर्स जेरथ एंटरप्राइज प्रा. लि. और उसके निदेशकों/गारंटर को जानबूझकर चूककर्ताओं घोषित करने के मामले में
आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (जानबूझकर चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के साथ व्यवहार) निर्देश, 2024 के अनुसार—जो डीओआर.एफआईएन.आरईसी.न.31/20.16.003/2024–25 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से जारी किए गए थे—संबंधित उधारकर्ता और उसके निदेशकों/गारंटरों को बैंक के उस 'प्रस्ताव' के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें उन्हें यह सूचना दिनांक 29.10.2025 के पत्र के माध्यम से 'जानबूझकर चूककर्ता' घोषित करने की बात कही गई थी, जिसके विरुद्ध उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 27.02.2026 को उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था, जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए।

समीक्षा समिति की अध्यक्षता श्री रामसुब्रमण्यम एस (कार्यकारी निदेशक) ने की। समिति के अन्य सदस्य श्री अभिजीत बसाक (सीजीएम), श्री बीजू वासुदेवन (सीजीएम) और श्री आलोक कुमार (जीएम) थे। समीक्षा समिति ने रिकॉर्ड में लाई गई पूरी सामग्री पर विचार किया। मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, समीक्षा समिति ने देखा कि उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटर के खिलाफ निर्विवाद साक्ष्य थे और उनका कार्य "जानबूझकर चूककर्ता" पर आरबीआई दिशानिर्देशों के दायरे में आएगा। साथ ही, उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटर मामले में जारी कारण बताओ नोटिस की टिप्पणियों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे। जानबूझकर चूककर्ता का कारण निम्नानुसार है–

यूनिटों के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि उधारकर्ता द्वारा यूनिट बंद कर दी गई हैं और उन्होंने बैंक को हाइपोथेक की गई मशीनरी और उपकरणों को बिना किसी पूर्व अनुमति के निपटा दिया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा समिति ने नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों को 'जानबूझकर चूककर्ता' घोषित करने का निर्णय लिया।

क्र सं	उधारकर्ता	निदेशकों/गारंटरों
1.	मेसर्स जेरथ एंटरप्राइज प्रा. लि.	रीटा जेरथ (निदेशक) और गारंटर) प्रशांत जेरथ (निदेशक और गारंटर)

(कुमार राहुल)
महाप्रबंधक

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: एल74899डीएल1993पीएलसी056421
रजि.कार्यालय : ए-30, एस-11, दूसरी मंजिल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली-110048, भारत
वेबसाइट: www.pgil.com **ईमेल:** pgindustryltd@gmail.com

असाधारण आम बैठक की सूचना
(परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुसार)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022, 14 दिसंबर, 2022, 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों और दिनांक 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 09/2023 के साथ पठित, दिनांक 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीबी(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की आगामी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 10 जून, 2026 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।.

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा जाना है जिनकी ई–मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। कंपनी पहले की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही